महत्वपूर्ण एवं खास

केंद्रीय विद्यालयों के बालवाटिका (नर्सरी) से कक्षा 1 में आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल

सारंगढ़ बिलाईगढ़। देशभर में भारत सरकार के अधीन इंग्लिश मीडियम में संचालित केंद्रीय विद्यालयों में बालवाटिका 1, 2, 3 (सामान्य भाषा में नर्सरी, केजी 1, केजी 2) और कक्षा 1 के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2024 है। बालवाटिका 1, 2, 3 (सामान्य भाषा में नर्सरी, केजी 1, केजी 2) अंतर्गत बालवाटिका 1 क़े लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 साल, बालवाटिका 2 क़े लिए उम्र 4 से 5 साल, बालवाटिका 3 क़े लिए उम्र 5 से 6 साल होना चाहिए। इसी प्रकार कक्षा 1 क़े लिए बच्चे की उम्र 6 से 8 साल होने चाहिए। इन सभी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र की गिनती 31 मार्च 2024 की स्थिति में होगा। बालवाटिका क़े लिए आवेदन सीधे केंद्रीय विद्यालय में जमा होगा और क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा, जिसका लिंक https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/instruction.html है। इस लिंक क़े नीचे में कॉलम में शर्त को टिक करेंगे तब फॉर्म खुलता है और आगे का एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

पैड न्यूज पर कार्यवाही 12 अप्रैल से प्रारंभ

सारंगढ़ बिलाईगढ़। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर किसी भी पार्टी और अभ्यर्थी के पक्ष में किया गया पैड न्यूज पर कार्यवाही 12 अप्रैल 2024 से किया जाएगा। इससे संबंधित समाचार पत्र, पत्रिका, पोर्टल और पत्रकार आदि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाएगा। इस कार्यवाही में संबंधित प्रिंट मीडिया संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय प्रेस परिषद को भेजा जाएगा। इसके बाद भारतीय प्रेस परिषद संबंधित संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अंतर्गत टीवी चैनल के विरुद्ध कार्यवाही के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग) को भेजा जाएगा। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संबंधित संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। साथ ही पैड न्यूज के खर्च के संबंध में अभ्यर्थी को नोटिस दिया जायेगा। अभ्यर्थी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उसके विरुद्ध अभ्यर्थी के व्यय खर्च में पैड न्यूज को जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थी इस पैड न्यूज के विरुद्ध जिला के निर्णय के विरुद्ध राज्य एमसीएमसी में अपना आवेदन दावा कर सकता है। इसी प्रकार अभ्यर्थी राज्य एमसीएमसी निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय एमसीएमसी में अपना आवेदन दावा कर सकता है।

19 अप्रैल से 01 जून 2024 तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल 2024 से 01 जून 2024 तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को सुबह 07 बजे से 01 जून 2024 की शाम 06.30 बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

ग्राम बनसिया में जूटमिल पुलिस की शराब रेड कार्यवाई में 7 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 10.04.2023 को थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मुखबीर से ग्राम बनसिया का अनुज कुमार जाटवर द्वारा उसके मकान के बगल में अवैध रूप से शराब बिक्री की सूचना मिला। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल स्टाफ कार्यवाई के लिये ग्राम बनसिया रवाना किया गया । जूटमिल पुलिस द्वारा आरोपी अनुज कुमार जाटवर पिता अवध राम जाटवर उम्र 26 वर्ष साकिन बनसिया थाना जूटमिल को 02-02 लीटर क्षमता वाली 03 नग बॉटल और 01 लीटर क्षमता वाली पानी बोतल में भरा कुल 07 लीटर महुआ शराब कीमती 700 रूपये का जप्त किया गया है।

नामांकन प्रक्रिया से पूर्व कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर गोयल ने व्यवस्थाओं का लिया जाएजा

एंट्रेस से लेकर नामांकन दाखिल करने संबंधी सभी तैयारियों की ली जानकारी

रायगढ़

कलेक्टर एवं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्तिकेया गोयल आज कलेक्ट्रेट में 12 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले लोक सभा निर्वाचन अन्तर्गत नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम सहित अन्य राजस्व, पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल एवं एसपी पटेल ने अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु जिला न्यायालय से लेकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट तक की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक बेरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ ही आरओ/एसएआरओ के कक्ष में इच्छुक अभ्यर्थी के साथ अधिकतम केवल 4 व्यक्ति की प्रवेश कर सकते हैं। जिसके लिए उन्होंने मुख्य गेट से लेकर आरओ कक्ष में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने एवं बेरीकेडिंग के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने कॉरिडोर में आवागमन हेतु व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लोकसभा क्षेत्र क्रमाक-2 रायगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष क्रमांक 2 में पहुंचे। उन्होंने आरओ कक्ष में निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी से उनके कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों से अभ्यर्थियों के निर्देशन पत्र प्राप्ति, वापसी पंजी, जाति, निवास, शपथ पत्र जैसे सभी दस्तावेजों की जांच चेक लिस्ट अनुसार क्रमानुसार से जांच करने के निर्देश दिए, ताकि कही भी गलती न हो। यहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की भी जानकारी ली।

कलेक्टर गोयल ने सी-विजिल कक्ष के निरीक्षण करते हुए विधानसभावार सी-विजिल में प्राप्त शिकायतों के साथ लॉगिंग एवं की गई कार्यवाही की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ऐसे पोस्टर और बैनर पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिसमें मुद्रक एवं प्रकाशक की जानकारी अंकित न हो। इसी प्रकार उन्होंने आचार संहिता उल्लंघन एवं निर्वाचन से संबंधित शिकायत हेतु स्थापित कक्ष में टोल फ्री नंबर 1950 में आए शिकायत पंजी का अवलोकन किया।

कलेक्टर गोयल ने मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कंट्रोल रूम एवं पोस्टल बैलेट एवं ईडीसी कक्ष का भी निरीक्षण किया एवं किए गए कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर ऋषा ठाकुर, एसडीएम प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा, तहसीलदार लोमस मिरी, नायब तहसीलदार तृप्ति चंद्राकर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

तमनार पुलिस ने ग्राम कोलम और महलोई में अवैध शराब बिक्री करते दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

आरोपियों से 20 लीटर अवैध महुआ शराब और शराब बिक्री रकम किया जब्त

रायगढ़

थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर के नेतृत्व में तमनार पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 11/04/2024 को थाना प्रभारी के हमराह सहायक उप निरीक्षक खेमराज पटेल एवं स्टाफ ग्राम भ्रमण पर रवाना हुए थे। इस दौरान मुखबीर से मिली सूचना पर ग्राम महलोई लिटीपारा में तमनार पुलिस की टीम ने प्रदीप तिग्गा ऊर्फ हाथी पिता स्वर्गीय मतीराम तिग्गा अमित 33 साल निवासी ग्राम महलोई थाना तमनार को उसके घर के पास अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करते पकड़ा गया है जिसके कब्जे से 12 लीटर महुआ शराब और शराब बिक्री रकम रु.120 की जप्ती की गई है।

इसी कड़ी में तमनार पुलिस की टीम द्वारा ग्राम कोलम में आरोपी गोपीचंद मांझी पिता रत्थो माझी उम्र 32 साल निवासी ग्राम कोलम थाना तमनार को उसके घर बाड़ी में शराब बिक्री करते पकड़ा गया जिसके कब्जे से 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डब्बा में भरा करीब 8 लीटर महुआ शराब कीमती रु.800 तथा बिक्री रकम 170 रुपए की जप्ती की गई है। इस प्रकार दोनों कार्यवाही में आरोपियों से 20 लीटर महुआ शराब कीमती रु.2,000 एवं बिक्री रकम रु.2,90 जप्त कर पृथक-पृथक धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

लोकसभा निर्वाचन-2024 : 30 हजार से अधिक मनरेगा श्रमिकों ने कार्यस्थल पर ली 7 मई को मतदान की शपथ

स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

रायगढ़

स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत 'चुनाव का पर्व देश का गर्व' के तहत जिले के 30 हजार से अधिक मनरेगा श्रमिकों ने कार्यस्थल पर शत-प्रतिशत मतदान की शपथ ली तथा दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।

लोकसभा निर्वाचन-2024 में शत-प्रतिशत मतदान हेतु मतदाता जागरूकता को लेकर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन व सीईओ जिला पंचायत व स्वीप नोडल जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जा रहे है। इसी तारतम्य में जिले के सात जनपद पंचायत में शपथ ग्रहण के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए श्रमिकों ने भाग लिया और उन्होंने इस दौरान मतदाता जागरूकता की शपथ भी ली।

इसी कड़ी में 549 ग्राम पंचायतों में कार्यस्थल पर महिला, पुरूष एवं युवा श्रमिकों सहित ग्रामीणों ने मतदाता जागरूकता के तहत शत-प्रतिशत मतदान करने की शपथ ली। साथ ही अपने परिवार व आस-पास के मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। जिसमें जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में 5070, जनपद पंचायत घरघोड़ा में 3266, जनपद पंचायत खरसिया में 5691, जनपद पंचायत लैलूंगा में 4471, जनपद पंचायत पुसौर में 5318, जनपद पंचायत रायगढ़ में 2993, जनपद पंचायत तमनार में 3259 श्रमिक शामिल हुए।

स्टाफ नर्स की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाली महिला को चक्रधरनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपिया के दो बैंक अकाउंट किए गए सीज

आरोपिया को पुलिस रायपुर में पकड़ा

आरोपी महिला पहले भी ठगी के मामले में जा चुकी है जेल

रायगढ़

रायगढ़ की पांच महिलाओं को स्टाफ नर्स की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाली महिला को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा रायपुर के अमलीडीह क्षेत्र में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है जिसे आज धोखाधड़ी के अपराध में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

धोखाधड़ी को लेकर पंजरीप्लांट में रहने वाली बीना पटेल द्वारा 9 अप्रैल को थाना चक्रधरनगर में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कर बताई कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में कलेक्टर दर पर स्टाफ नर्स का काम कर रही है। इसके परिचित महिला से इसकी मुलाकात शोभना दास निवासी रायपुर से परिचय हुआ। शोभना एम्स रायपुर में नौकरी करना बताकर इसकी नौकरी एम्स रायपुर में स्टाफ नर्स की नौकरी लगने की बात बोली और जिसके लिये डेढ़ लाख रुपए की मांग की । बीना पटेल जनवरी 2024 में अपने खाते से रु.25,000 शोभना के खाते में ट्रांसफर की थी बाद में बीना पटेल को पता चला कि शोभना दास ने जान परिचय के चंदारानी तिर्की, गुरमनिया बेक, अमिया तिर्की, महिमा पाव से नौकरी लगाने के नाम पर 4,53,000/ रूपये की ठगी की है और उन्हें रूपये वापस नहीं की है। तब यह शोभना से अपना पैसा वापस मांगी तो शोभना टालमटोल करने लगी। 09 अप्रैल को बीना पटेल द्वारा थाना चक्रधरनगर में कार्यवाही के लिये दिये जाने पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा आरोपिया पर अपराध क्रमांक 183/2024 धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी द्वारा द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया जिनके मार्गदर्शन पर कल सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी के हमराह स्टाफ आरोपिया की पतासाजी/गिरफ्तारी के लिए रायपुर भेजा गया। चक्रधरनगर पुलिस की टीम आरोपिया के ससुराल खमतराई इलाके में दबिश दी, जहां आरोपिया नहीं मिला। पुलिस टीम द्वारा स्थानीय सूत्रों से आरोपिया का पता लगाया गया और देर रात न्यू राजेन्द्रनगर थानाक्षेत्र के अमलीडीह से आरोपिया शोभना दास को हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया। पूछताछ में आरोपिया द्वारा बीना पटेल समेत रायगढ़ की 5 महिलाओं को स्टाफ नर्स की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करना स्वीकार की है। इसके पहले भी आरोपिया रायपुर की लड़कियों को स्टाफ नर्स की नौकरी का झांसा दी थी जिसमें खमतराई पुलिस आरोपिया को चालान कर जेल भेजा गया था। आरोपिया ने ठगी के रकम को अपने खर्च और उधारी लेनदेन में चुकाना बताई है। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपिया के दो बैंक अकाउंट को सीज किया गया तथा आरोपिया शोभना दास पति सुमित दास 38 साल अमलीडीह रायपुर को धोखाधड़ी की अपराध में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी, प्रधान आरक्षक हेम प्रकाश सोन, महिला आरक्षक अनीता बेक शामिल थी।

स्क्रैप के अवैध परिवहन पर पूंजीपथरा पुलिस ने की कार्यवाही

ट्रक में लोड लोहे का 10 टन स्क्रैप किया गया जब्त

रायगढ़

थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पूंजीपथरा पुलिस द्वारा आज सुबह पेट्रोलिंग दौरान मुखबीर सूचना पर ग्राम जामडबरी स्कूल के सामने सरायपाली मार्ग पर ट्रक क्रमांक सीजी 12 सी 3416 को चेक किया गया जिसमें लोहे के स्क्रैप लोड था। पूछताछ में ट्रक चालक अर्जुन चौधरी पिता इंद्रदेव चौधरी उम्र 44 साल निवासी देवकली थाना मकदूमपुर जिला जोहानाबाद बिहार ने ट्रक में लोड स्क्रैप के कोई कागजात नहीं होना बताया। ट्रक चालक द्वारा अवैध तरीके से स्क्रैप परिवहन करना पाये जाने पर ट्रक को कब्जे में लेकर वजन कराया गया। ट्रक में करीब 10 टन लोहे का स्कैप कीमती 2,50,000 रुपए का पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जप्ती की गई है। आरोपी वाहन चालक अर्जुन चौधरी पर थाना पूंजीपथरा में धारा 41(1+4)CrPC/379IPC के तहत कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम और आरक्षक उमाशंकर भगत शामिल थे।

रायगढ़ और जांजगीर लोकसभा सीट के लिए नामांकन आज से प्रारंभ

सारंगढ़ बिलाईगढ़

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के ससंदीय क्षेत्र क्रमांक-02 रायगढ़ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये एवं 03-जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। संसदीय क्षेत्र 02-रायगढ़ अंतर्गत इस जिले के विधानसभा 16-रायगढ़ (आंशिक) एवं 17-सारंगढ़ पूर्णतः सम्मिलित है तथा जांजगीर चांपा लोकसभा अंतर्गत विधानसभा 43-बिलाईगढ़ सम्मिलित है। अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 12 अप्रैल 2024 (शुक्रवार), नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि दिनांक 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार), नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 20 अप्रैल 2024 (शनिवार), नाम वापसी की अंतिम तिथि दिनांक 22 अप्रैल 2024 (सोमवार), मतदान की तिथि दिनांक 07 मई 2024 (मंगलवार), मतगणना की तिथि दिनांक 04 जून 2024 (मंगलवार) है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-02 रायगढ़ हेतु नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट रायगढ़ में कक्ष क्रमांक-02 कलेक्टर न्यायालय में सार्वजनिक अवकाश की तिथियों को छोड़कर, अधिसूचना अनुसार निर्धारित तिथियों में प्रातः 11 बजे से 03 बजे के मध्य प्राप्त किये जायेंगे। इसी प्रकार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 03-जांजगीर चांपा हेतु नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट जांजगीर चांपा में कलेक्टर न्यायालय में सार्वजनिक अवकाश की तिथियों को छोड़कर, अधिसूचना अनुसार निर्धारित तिथियों में प्रातः 11 बजे से 03 बजे के मध्य प्राप्त किये जायेंगे। सुविधा एप्लीकेशन (सुविधा डॉट ईसीआई डॉट जीओव्ही डॉट इन) के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म एवं शपथ पत्र ऑनलाईन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी को एक स्लॉट का चयन कर निर्धारित तिथि एवं समय पर भौतिक सत्यापन एवं नियत शुल्क भुगतान हेतु रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।

झगड़ा विवाद के बीच महिला ने अपनी मौसी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

आरोपी महिला को जूटमिल पुलिस ने हत्या के प्रयास अपराध में गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़

दिनांक 10/04/2024 के शाम जूटमिल के बजरंगपारा में रहने वाली महिला फूलो बाई चौहान (उम्र 64 वर्ष) के ऊपर उसकी भतीजी शकुंतला चौहान (50 वर्ष) द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा देने की घटना सामने आई जिसमें अहिता फूलो बाई को ईलाज के लिये केजीएच में भर्ती किया गया है। थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा डॉक्टर से सलाह लेकर घायल महिला फूलो बाई से पूछताछ कर बयान लिया गया जिसमें फूलो बाई चौहान बताई कि 10/04/2024 के शाम इसकी भतीजी शकुंतला चौहान इसके घर आई जिसके हाथ में एक थैला था। शकुंतला कहने लगी की घर परिवार के लोग कोई रिश्ता नहीं रखे हैं जिससे अकेले किराए मकान में रहकर जीवन यापन करना पड़ रहा है काफी परेशान हो गई हूं, पेट्रोल लेकर आई हूं यहीं स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या करूंगी जिसे फूलो बाई और उसकी बहू सुमित्रा चौहान यहां यह सब मत करो कहकर समझाएं जिस पर शकुंतला नहीं मानी और आत्महत्या करने की जीद करने लगी। तब सुमित्रा चौहान पड़ोस में रहने वाले शकुंतला के लड़के हेमंत चौहान को बुलाने के लिए दौड़ी जिससे शकुंतला चौहान गुस्से में आ गई और मेरे बेटे को बुला रहे हो कहकर थैले अंदर बोतल में रखे पेट्रोल को निकाली और उसकी मौसी फूलो बाई चौहान के ऊपर डालकर आग लगा दी। घटना के संबंध में फूलो बाई चौहान के रिपोर्ट पर आरोपिया शकुंतला चौहान पति स्वर्गीय रोहित चौहान उम्र 50 साल निवासी बजरंगपारा थाना जूटमिल जिला रायगढ़ को जूटमिल पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480